देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....916......../भू अ0 दिनांक : 9/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–धमना, थाना–मधुपुर, थाना सं०– 219, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर मधुपुर पथ निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–धमना, थाना–मधुपुर, थाना सं०–219, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.71 **एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19/3	259	रैयती	बाड़ी–2	0.30	रामरमजु दास वल्द मधुवामन वजरीया कोम खगनतारा सा० कलकत्ता खातेदार।	मौजा–गड़िया, नं० 212	पटवा वाद नं० 221	प्लाट नं 275 व अधिग्रहित प्लांट का का अंश	प्लाट सं० 256 वो अधिग्रहित प्लॉट का अंश
2	9	258	रैयती	बाड़ी–2	0.41	निरंजन प्र० सिंह वो मनोरंजन प्र० सिंह पे० निलमनी सिंह 1/3 अंश वो शमरूद्र सिंह पे० रूपना० सिंह 1/18 अंश वो रवीन्द्रनाथ वो सुवल प्र० सिंह वो उत्तम कुमार सिंह पे० हृदय ना० सिंह 1/18 अंश वो नवल किशोर सिंह वो व्यास प्र० सिंह पे० पृथ्वी नाथ सिंह 1/18 अंश समान वो त्रिपुरारी सिंह वो मुरारी प्र० सिंह पे० राजेन्द्र प्र० सिंह 1/24 अंश समान वो सलेन्द्र नाथ सिंह पे० चन्द्र ना० सिंह 1/24 अंश वो केशव कुमार सिंह पे० मिथलेश कुमार सिंह वो ओमप्रकाश सिंह पे० अखिलेश्वर सिंह 1/24 अंश समान वो शिवशंकर सिंह पे० टीकेट सिंह वो अजय कुमार सिंह पे० भोला प्र० सिंह 1/24 अंश समान वो कृष्ण कान्त सिंह वो ललन सिंह पे० काशी नाथ सिंह 1/12 अंश समान वो अशोक कुमार सिंह पे० विन्देश्वरी प्र० सिंह 1/12 अंश वो बासुदेव प्र० सिंह वो विश्वनाथ सिंह पे० नुनमनी सिंह 1/16 अंश समान सा० गढ़ीया।				
कुल रकवा–					**0.71**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

9/12/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 916....../ भू अ0, देवघर, दिनांक 9/12/17
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

9/12/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।